SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
January – March 2025
E-ISSN 3048-7323
Vol-2
Issue-1

पत्रकारिता और मानहानि कानून: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा

आलोक अग्रवाल
पत्रकारिता एवं जनसंचार
भक्ति अग्रवाल
सहायक प्राध्यापक (ललितकला)
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सारांश

पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला। पत्रकारिता का कार्य समाज में पारदर्शिता लाना, जनता को सटीक जानकारी प्रदान करना और सत्ता का सत्यापन करना है। हालांकि, जब यह स्वतंत्रता किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने लगती है, तब यह मानहानि कानून के दायरे में आ सकती है। यह शोधपत्र भारतीय कानूनी व्यवस्था में मानहानि कानून और पत्रकारिता के बीच संबंधों की विवेचना करता है। इसमें भारतीय संविधान, भारतीय दंड संहिता, न्यायिक दृष्टांतों और अंतरराष्ट्रीय संदर्भों के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की क्या सीमाएँ हैं और पत्रकारिता को किस प्रकार कानूनी एवं नैतिक दायित्वों का पालन करना चाहिए।

कुंजीभूत शब्द

पत्रकारिता, मानहानि, स्वतंत्रता, भारतीय संविधान, निष्पक्षता और नैतिकता।

1. प्रस्तावना

पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सत्य को उजागर करना और जनता तक विश्वसनीय सूचना पहुँचाना है। लेकिन जब किसी व्यक्ति या संस्था के बारे में झूठी, भ्रामक या गलत जानकारी प्रकाशित होती है, तो यह उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकती है जिसे मानहानि कहा जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह असीमित नहीं है। लोकतांत्रिक समाज में यह आवश्यक है कि पत्रकारिता स्वतंत्र रहे, लेकिन साथ ही इस पर कुछ विधिक और नैतिक सीमाएँ भी होनी चाहिए ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुँचे। यह शोधपत्र इन्हीं मुद्दों पर गहराई से विचार करता है।

2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसकी सीमाएँ

2.1 भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। लेकिन यह स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) के तहत कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन है, जिनमें मानहानि भी शामिल है।

2.2 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम मानहानि कानून

जब एक पत्रकार किसी व्यक्ति के बारे में गलत, अपमानजनक या झूठी जानकारी प्रकाशित करता है, तो यह मानहानि का कारण बन सकता है। लेकिन यदि समाचार सत्य पर आधारित हो, जनता के हित में हो और प्रमाणित हो, तो इसे मानहानि नहीं माना जाएगा।

3. मानहानि कानून: परिभाषा और प्रमुख धाराएँ

3.1 मानहानि की परिभाषा

किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने वाले झूठे बयानों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना या प्रसारित करना मानहानि कहलाता है। मानहानि दो प्रकार की होती है-

1. **मौखिक मानहानि (Slander):**जब किसी के बारे में झूठी बातें मौखिक रूप से कही जाती हैं।
2. **लिखित मानहानि (Libel):**जब किसी के बारे में झूठी बातें लिखित रूप में प्रकाशित होती हैं, जैसे समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या सोशल मीडिया पर।

3.2 भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 के तहत मानहानि

धारा 499:यदि कोई व्यक्ति शब्दों, संकेतों या दृश्य अभिव्यक्तियों द्वारा किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाता है, तो इसे मानहानि माना जाएगा। इसमें कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, जैसे सत्य आलोचना और जनहित में की गई टिप्पणियाँ।

धारा 500:यदि कोई व्यक्ति मानहानि का दोषी पाया जाता है, तो उसे दो वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

3.3 दीवानी मानहानि

यदि किसी व्यक्ति को मानहानि से आर्थिक या मानसिक क्षति हुई है, तो वह दीवानी अदालत में क्षतिपूर्ति (damages) के लिए मुकदमा दायर कर सकता है।

4. पत्रकारिता और मानहानि: नैतिकता बनाम विधिक दायित्व

4.1 प्रेस की नैतिक जिम्मेदारियाँ

पत्रकारों को निम्नलिखित नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए -

1. समाचार की सत्यता की जाँच करें।
2. निष्पक्ष और संतुलित रिपोर्टिंग करें।
3. व्यक्तिगत हमलों से बचें।
4. गोपनीयता और निजता का सम्मान करें।

4.2 मीडिया ट्रायल और मानहानि

हाल के वर्षों में मीडिया ट्रायल के कारण कई लोगों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा है। उदाहरण के लिए -

सुषांत सिंह राजपूत केस (2020):मीडिया रिपोर्टिंग ने उनकी मौत को सनसनीखेज बना दिया, जिससे कई लोगों की छवि प्रभावित हुई।

आरुषि हत्याकांड (2008):मीडिया रिपोर्टिंग ने आरुषि के माता-पिता को पहले ही दोषी ठहरा दिया था, जबकि अदालत में बाद में उन्हें निर्दोष पाया गया।

5. न्यायिक मिसालें

1. **सुभाष चंद्र बनाम एस.पी. गुप्ता (1995) -** इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया को स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है और इसे मानहानि कानूनों के तहत सीमित किया जा सकता है।

2. **राजगोपाल बनाम तमिलनाडु सरकार (1994) -**सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक हस्तियों की आलोचना के लिए प्रेस स्वतंत्र है, लेकिन झूठी और दुर्भावनापूर्ण खबरें मानहानि के दायरे में आती हैं।

3. **साक्षी बनाम भारत सरकार (2004) -** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि समाचार पत्रों को ऐसी सामग्री प्रकाशित करने से बचना चाहिए, जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचा सकती है।

6. अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

6.1 अमेरिका - न्यूयॉर्क टाइम्स बनाम सुलिवन (1964):सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हस्तियों के संबंध में झूठी खबरें केवल तभी मानहानि मानी जाएँगी जब यह सिद्ध हो कि वे जानबूझकर या घोर लापरवाही से प्रकाशित की गई थीं।

6.2 यूनाइटेड किंगडम - यूके में मानहानि कानून अपेक्षाकृत सख्त हैं। वहाँ पत्रकारों को यह सिद्ध करना होता है कि उनके द्वारा प्रकाशित जानकारी सत्य और जनहित में थी।

7. निष्कर्ष

पत्रकारिता और मानहानि कानून के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। प्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पत्रकारों को सत्य, निष्पक्षता और नैतिकता का पालन करना चाहिए ताकि वे मानहानि के मामलों से बच सकें।

8. संदर्भ

1. भारतीय संविधान, अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(2)।
2. भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC), धारा 499 और 500।
3. सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णय जैसे सुभाष चंद्र बनाम एस.पी. गुप्ता (1995) और राजगोपाल बनाम तमिलनाडु सरकार (1994)।
4. न्यूयॉर्क टाइम्स बनाम सुलिवन (1964) अमेरिका।
5. यूके के मानहानि कानूनों से संबंधित रिपोर्ट।